



महिला सशक्तिकरण : पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के प्रमुख सुझाव (उत्तराखण्ड के जनपद उत्तरकाशी का एक अध्ययन)

डॉ. पवन कुमार

असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष

समाजशास्त्र विभाग - राजकीय महाविद्यालय चिन्यालीसौंड

जनपद - उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड

शोध सारांश

भारत में पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय लोकतंत्र, जनसहभागिता और सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम है। 73वें संविधान संशोधन के पश्चात् पंचायतों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को संवैधानिक आधार प्राप्त हुआ। इस व्यवस्था ने ग्रामीण महिलाओं के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी के नए अवसर उत्पन्न किए हैं।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य उत्तराखण्ड के जनपद उत्तरकाशी में पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के अनुभवों एवं महिला सशक्तिकरण से संबंधित उनके प्रमुख सुझावों का समाजशास्त्रीय अध्ययन करना है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से महिला सशक्तिकरण को केवल पंचायत में निर्वाचित होने तक सीमित न रखकर उनकी निर्णय-निर्माण क्षमता, राजनीतिक जागरूकता, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा पंचायत के विकास कार्यों में प्रभावी भागीदारी के संदर्भ में समझने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि निर्वाचित होने के पश्चात् महिलाएँ पंचायत की बैठकों, ग्राम सभा, विकास योजनाओं तथा स्थानीय निर्णय-प्रक्रिया में किस प्रकार भाग लेती हैं और उनके सामने कौन-कौन सी सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक चुनौतियाँ उपस्थित होती हैं। पंचायतों में महिलाओं की संख्या बढ़ना अपने-आप में पूर्ण सशक्तिकरण का प्रमाण नहीं है, वास्तविक सशक्तिकरण उनकी स्वतंत्र निर्णयकारी भूमिका से जुड़ा है।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के प्रमुख सुझावों में नियमित प्रशिक्षण एवं क्षमता-विकास, पंचायत के अधिकारों और कार्यप्रणाली की जानकारी, राजनीतिक एवं कानूनी जागरूकता, डिजिटल साक्षरता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, ग्राम सभा में सक्रिय भागीदारी तथा निर्णय लेने में स्वतंत्रता को विशेष महत्व दिया जा सकता है। इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए बेहतर आवागमन, संचार सुविधाएँ तथा प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराने की आवश्यकता भी महत्वपूर्ण है।

महिला सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करना नहीं बल्कि पंचायत की निर्णय-प्रक्रिया में महिलाओं की स्वतंत्र, सक्रिय और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना है। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के सुझाव स्थानीय शासन को अधिक सहभागी, समावेशी और लैंगिक समानता पर आधारित बनाने में महत्वपूर्ण आधार प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार पंचायतों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सामाजिक परिवर्तन तथा ग्रामीण समाज में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है।

मूल शब्द : महिला सशक्तिकरण, निर्वाचित महिला प्रतिनिधि, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, राजनीतिक भागीदारी ।

सामान्य रूप से महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में परिवार समाज, व राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तता से है। दूसरे शब्दों में महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय जीवन की गुणवत्ता में सुधार से है, जिसमें कम से कम महिला को अपने स्वयं के जीवन से सम्बन्धित निर्णय लेने की क्षमता एवं स्वायत्तता प्राप्त हो सके।

महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी तथा अधिकार-संपन्न बनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करना तथा उनके विरुद्ध होने वाले भेदभाव, शोषण और हिंसा को समाप्त करना है। किसी भी राष्ट्र के समग्र विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए महिलाओं की उन्नति और सशक्तिकरण के बिना एक विकसित और समृद्ध समाज की कल्पना नहीं की जा सकती।

आज सर्वत्र महिला सशक्तिकरण की बात कही जाने लगी है। किन्तु सशक्तिकरण पर दिए जा रहे बल से अनायास की यह प्रज्ञा उठ खड़ा होता है। कि इस विषय पर इतना अधिक ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रकृति ने महिला को माता बनने का अधिकार देकर उसे पुरुष से श्रेष्ठ बनाया था इसीलिए प्रारम्भ में उसी की सत्ता सर्वोपरि थी। परन्तु कालान्तर में पुरुष प्रधान मानसिकता के चलते जंगल के कानून ने रंग दिखाया और पुरुष ने शारीरिक बल की दृष्टि से स्वयं को श्रेष्ठ घोषित करते हुए स्वामिनी को दासी में रूपान्तरित कर दिया। शनैः—“नैः पुरुष व महिला के मध्य एक बोधगम्य व सुस्पष्ट असमानता व्याप्त हो गई। कार्य क्षेत्र तो बंट गए किन्तु अधिकारों का बंटवारा नहीं हुआ। पुरुषों ने सभी अधिकार अपने हाथों में ले लिए और सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से महिला को आश्रिता में परिणित कर दिया।

विगत शताब्दी के उत्तरार्द्ध के प्रारम्भ में हुई सामाजिक क्रान्ति ने इस पक्षपात को उजागर किया व चेतना युक्त समाज इसे समाप्त करने के लिए प्रेरित हुआ। फलतः यह प्रज्ञा पूछा जाने लगा कि यदि पारिवारिक व सामाजिक दायित्वों के निर्वहन का भार महिलाओं को पुरुषों के समान ही वहन करना पड़ता है तो उन्हें सामाजिक व राजनीतिक निर्णय निर्माण में समभाग प्रदान क्यों नहीं किया जाता। इस प्रज्ञा ने ही महिला सशक्तिकरण आंदोलन का बीजारोपण किया।

सशक्तिकरण का पहला आयाम महिलाओं में आत्मविश्वास और स्वाभिमान जागृत करना है। पुरुष और महिला की सामाजिक स्थिति में अन्तर यून तो समूचे समाज में मौजूद है, किन्तु ग्रामीण समाज में हालत बदतर हैं।

शहरों में तो शिक्षा, समाज-सुधार आन्दोलनों और प्रचार-प्रसार माध्यमों के प्रभाव से महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है जिससे उन्हें कुछ हद तक समानता एवं स्वायत्तता का अधिकार प्राप्त हुआ है, परन्तु ग्रामीण समाज में महिलायें परिवार एवं समाज के शोषण का शिकार हैं।

भारतीय समाज में लड़कियों का जन्म अशुभ माना जाता है और कुछ समुदायों में तो पैदा होते ही उन्हें मार दिया जाता है या लड़कों तथा लड़कियों के लालन-पालन में भेदभाव के कारण लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम पौष्टिक भोजन मिलता है, जिससे वे बचपन में ही अकाल मृत्यु का शिकार हो जाती हैं।



सामाजिक कुरीतियों, बाल-विवाह, दहेज प्रथा, बंधुआ मजदूरी, न"आखोरी आदि के प्रभाव से महिलायें सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक दृष्टि से दबी रहती हैं।

स"वित्करण की चर्चा जितनी भी की जाए वह अर्थपूर्ण तभी हो सकती है जब केन्द्रीय प्र"नों के उत्तर खोजे जाएं। वैयक्तिक और सामाजिक आचरण में लिंग भेद के विलुप्त हुए बिना सामाजिक समता निरर्थक है। इसी प्रकार महिला के आर्थिक स्वावलम्बन को सुनि"चित किए बिना आर्थिक समानता की संकल्पना निराधार है। पुनः राजनीतिक निर्णय निर्माण में महिलाओं की समुचित भागीदारी सुनि"चित किए बिना मताधिकार जैसे सांकेतिक उपकरणों के माध्यम से राजनीतिक समता स्थापित करने की कल्पना अर्थहीन है।

प्रो.बीना राय (प्राचार्य) ने अपने शोध अध्ययन "भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण का एक अध्ययन" में कहा है कि महिला सशक्तिकरण आवश्यक है क्योंकि उनके विचार एवं उनके मूल्य प्रणालिया एक अच्छे परिवार, अच्छे समाज और अंततः एक अच्छे राष्ट्र का विकास करती हैं जब तक महिला को पुरुषों के समान अवसर नहीं दिए जाते हैं तब तक विश्व कभी भी प्रगति नहीं कर पाएगा।¹

डॉ.शेषमणि मिश्रा ने अपनी अध्ययन "महिला सशक्तिकरण : मुद्दे, चुनौतियां एवं समाधान" में कहा है कि भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा से निजात पाने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा अर्थात अपराधियों के व्यवहार में बदलाव लाने के गंभीर प्रयासों के बगैर कभी हिंसा से निजात नहीं पाया जा सकता है। इसके लिए महिला सुरक्षा और लैंगिक संवेदनशीलता पर सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम कराए जाएं।²

सुश्री सविता त्रिपाठी ने अपने अध्ययन "महिला सशक्तिकरण" में पाया कि महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा लक्ष्य है महिलाओं को पुरुषों के बराबर समाज में समानता देना। महिलाएं अभी भी केवल गुलामी की तरह कार्य करती हैं उनको ना अपनी बात कहने की और ना ही निर्णय लेने की आजादी दी गई है।³

शोध पद्धति –

प्रस्तुत शोध पत्र में साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से निदर्शन में चुनी गई निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों से अध्ययन से संबंधित विभिन्न सूचनाएं प्राप्त की गई है। सूचनाओं का संकलन प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोतों के द्वारा किया गया है। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत साक्षात्कार अनुसूची से प्राप्त उत्तरों को संकलित किया गया है। इसमें जनपद उत्तरकाशी की त्रिस्तरीय पंचायत में निर्वाचित 200 वर्तमान तथा निवर्तमान महिला प्रतिनिधियों को अध्ययन के लिए चुना गया है। द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत शोध अध्ययन में वास्तविकता तथा यथार्थता लाने के लिए शोध संबंधी साहित्य सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों से सूचनाओं का समुचित उपयोग किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य –

1. निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करना
2. महिला प्रतिनिधियों द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए दिए गए प्रमुख सुझावों का विश्लेषण करना।
3. महिलाओं के निर्णय-निर्माण में सहभागिता को बढ़ाने के उपायों का अध्ययन करना।
4. पंचायत एवं स्थानीय निकायों में महिलाओं के प्रभावी प्रतिनिधित्व हेतु आवश्यक सुधारों का अध्ययन करना।
5. महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में सरकारी योजनाओं एवं नीतियों की उपयोगिता का मूल्यांकन करना।
6. निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के अनुभवों के आधार पर महिला सशक्तिकरण के व्यावहारिक सुझाव प्राप्त करना।
7. महिला सशक्तिकरण को अधिक प्रभावी बनाने हेतु नीतिगत एवं प्रशासनिक सुझाव प्रस्तुत करना।

अध्ययन क्षेत्र -

प्रस्तुत अध्ययन के लिए उत्तराखंड राज्य के सीमांत पर्वतीय जनपद उत्तरकाशी को चुना गया है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस जिले की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा चीन से मिलती है। उत्तरी क्षेत्र की सीमा जहाँ चीन से मिलती है वहीं पश्चिमोत्तर सीमा हिमाचल राज्य से लगती है। प्रशासनिक दृष्टि से जनपद उत्तरकाशी को छह विकासखंडों मोरी, पुरोला, नौगांव, चिन्वालीसौड, डुण्डा एवं भटवाड़ी में विभाजित किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र के लिए जनपद के स्थानीय स्वशासन में निर्वाचित 200 वर्तमान तथा निवर्तमान महिला प्रतिनिधियों को अध्ययन हेतु चुना गया है। इन चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों से साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा सूचनाओं का संकलन कर अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में पंचायत के माध्यम से महिलाओं को और अधिक सशक्त किए जाने हेतु इन प्रतिनिधियों के सुझावों को समझने का प्रयास किया गया है। क्षेत्र का विकास करना प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि का उद्देश्य होता है। ऐसा करना प्रत्येक प्रतिनिधि के लिए आवश्यक भी है। लेकिन अपने क्षेत्र में किये जाने वाले विकास कार्यों की गति से हमारी महिला प्रतिनिधि क्या संतुष्ट हैं? हमने तालिका संख्या -01 में यही जानने का प्रयास किया।

तालिका संख्या – 01

अपने क्षेत्र में किये जाने वाले विकास कार्यों की गति से संतुष्टि

क्रम सं०	विकास कार्यों से संतुष्टि	विकासखण्ड						योग
		नौगांव	पुरोला	मोरी	चि० सौड	डुण्डा	भटवाड़ी	
1.	हाँ	28 (80)	26 (74)	24 (80)	24 (69)	21 (60)	13 (43)	136 (68)
2.	नहीं	07 (20)	09 (26)	06 (20)	11 (31)	14 (40)	17 (57)	64 (32)
	कुल योग	35 (100)	35 (100)	30 (100)	35 (100)	35 (100)	30 (100)	200 (100)

तालिका संख्या : 01 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पंचायती राज संस्थाओं में लगभग 68 प्रतिशत निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में किये जाने वाले विकास कार्यों की गति से संतुष्ट हैं। जबकि केवल 32 प्रतिशत सूचनादात्रियों का मानना है कि वह अपने क्षेत्र में किये जाने वाले विकास कार्यों की गति से संतुष्ट नहीं हैं। हमने ऐसी असंतुष्ट प्रतिनिधियों से उनकी असंतुष्टता का कारण जानने का भी प्रयास किया।

तालिका संख्या – 02

विकास कार्यों से असंतुष्ट का कारण

क्रम सं०	असंतुष्ट का कारण	विकासखण्ड						योग
		नौगांव	पुरोला	मेरी	चि० सौड	डुण्डा	भटवाड़ी	
1.	सरकार के द्वारा कम आर्थिक सहायता दी जा रही है।	02 (29)	04 (44)	02 (33)	03 (27)	03 (21)	03 (18)	17 (27)
2.	सरकारी अधिकारी एवं कार्यालयों के अधिक चक्कर लगाने पड़ते हैं।	03 (43)	03 (33)	01 (17)	04 (36)	06 (43)	11 (65)	28 (44)
3.	क्षेत्र के लोग महिला समझकर अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं।	—	01 (11)	02 (33)	01 (9)	03 (21)	03 (18)	10 (16)
4.	दलगत या राजनीतिक विरोध के चलते लोग स्वतन्त्र रूप से कार्य नहीं करने देते।	02 (29)	01 (11)	01 (17)	03 (27)	02 (14)	—	09 (14)
5.	अन्य कारण	—	—	—	—	—	—	—
	कुल योग	07 (100)	9 (100)	6 (100)	11 (100)	14 (100)	17 (100)	64 (100)

तालिका संख्या : 02 से स्पष्ट होता है कि पंचायती राज संस्थाओं में अपने क्षेत्र के विकास कार्यों से असंतुष्ट महिला प्रतिनिधियों में से 44 फीसदी प्रतिनिधियों का मानना है कि विकास कार्यों हेतु उन्हें सरकारी अधिकारियों एवं कार्यालयों के अधिक चक्कर लगाने पड़ते हैं। 27 प्रतिशत प्रतिनिधि यह मानती हैं कि उन्हें सरकार के द्वारा विकास कार्यों हेतु कम आर्थिक सहायता दी जा रही है। 16 फीसदी उत्तरदाताओं का यह भी मानना है कि क्षेत्र के लोग उन्हें महिला समझकर उनके कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं। जबकि 14 प्रतिशत सूचनादात्रियों इस विचार की समर्थक हैं कि दलगत या राजनीतिक विरोध के चलते लोग स्वतन्त्र रूप से उन्हें कार्य नहीं करने देते हैं।

उत्तराखण्ड एक पर्वतीय राज्य है। इस पर्वतीय राज्य में महिलाओं को अपने दैनिक जीवन में घरेलू एवं खेती बाड़ी के कार्य भी करने पड़ते हैं। उस पर इन ग्रामीण महिलाओं को पंचायत सम्बन्धी कार्य देकर उनके ऊपर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ा दिया गया है। ऐसे में क्या ये पंचायती महिला प्रतिनिधि पंचायत एवं घरेलू कार्यों के बीच उचित तालमेल बना पाती हैं या वे भूमिका संघर्ष का शिकार रहती हैं?

तालिका संख्या – 03

क्या आप पंचायत एवं घरेलू कार्यों के बीच उचित तालमेल बना पाती हैं?

क्रम सं०	पंचायत एवं घरेलू कार्यों में तालमेल	विकासखण्ड						योग
		नौगांव	पुरोला	मोरी	चि० सौड	डुण्डा	भटवाड़ी	
1.	हाँ	31 (89)	35 (100)	29 (97)	35 (100)	35 (100)	25 (83)	190 (95)
2.	नहीं	04 (11)	—	01 (3)	—	—	05 (17)	10 (5)
	कुल योग	35 (100)	35 (100)	30 (100)	35 (100)	35 (100)	30 (100)	200 (100)

तालिका संख्या : 03 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि लगभग अधिकतर महिला पंचायत प्रतिनिधि (95 प्रतिशत) अपने घरेलू कार्यों एवं पंचायती कार्यों के बीच उचित तालमेल बना लेती हैं। यह एक सराहनीय प्रयास है, क्योंकि घरेलू एवं खेती बाड़ी के कार्यों की अधिकता के बावजूद ये महिलायें पंचायती कार्यों को भी पूर्ण उत्तरदायित्व से कर रही हैं। केवल 5 प्रतिशत सूचनादात्रियों ने इस प्रकार के उचित तालमेल से इन्कार किया है।

शिक्षा आज के जीवन महत्वपूर्ण है। शिक्षा से मानव जीवन का सर्वांगीण विकास सम्भव है। आज के आधुनिक जीवन में हम बिना शिक्षा के मानव जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे स्थानीय ग्रामीण महिला प्रतिनिधियों के दृष्टिकोण में शिक्षा का क्या महत्व

तालिका संख्या – 04

क्या आप महसूस करती है कि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाती है?

क्रम सं०	उत्तर	विकासखण्ड						योग
		नौगांव	पुरोला	मोरी	चि० सौड	डुण्डा	भटवाड़ी	
1.	हाँ	35 (100)	35 (100)	30 (100)	35 (100)	35 (100)	30 (100)	200 (100)
2.	नहीं	—	—	—	—	—	—	—
	कुल योग	35 (100)	35 (100)	30 (100)	35 (100)	35 (100)	30 (100)	200 (100)

तालिका संख्या : 04 को दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि हमारे स्थानीय महिला प्रतिनिधि भी आज के युग में शिक्षा के महत्व से अवगत हैं 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाती है। यह आँकड़ा हमारी महिला प्रतिनिधि की शैक्षिक जागरूकता का परिचायक है।

आज संसद तथा राज्य विधान सभाओं में भी महिला आरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजनीति में भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के प्रयास किये जा रहे हैं। महिला आरक्षण बिल लम्बे समय से लोक सभा में लम्बित है। लेकिन क्या हमारी स्थानीय महिला प्रतिनिधि इस राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रतिनिधित्व चाहती हैं। हमने इस प्रश्न पर स्थानीय महिला प्रतिनिधियों का दृष्टिकोण जानने का प्रयास किया?

तालिका संख्या – 05

क्या आप इस बात से सहमत हैं कि महिलाओं को न केवल पंचायतों में बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए?

क्रम सं०	राष्ट्रीय राजनीति में प्रतिनिधित्व	विकासखण्ड						योग
		नौगांव	पुरोला	मोरी	चि० सौड	डुण्डा	भटवाड़ी	
1.	हाँ	34 (97)	35 (100)	29 (97)	33 (94)	34 (97)	30 (100)	195 (97.5)
2.	नहीं	01 (3)	—	01 (3)	02 (6)	01 (3)	—	05 (2.5)
	कुल योग	35 (100)	35 (100)	30 (100)	35 (100)	35 (100)	30 (100)	200 (100)

तालिका संख्या : 05 से ज्ञात होता है कि हमारी लगभग सभी सूचनादात्रियाँ (98 प्रति"त) महिलाओं को राष्ट्रीय राजनीति में प्रतिनिधित्व की पक्षधर हैं। मात्र 2 प्रति"त सूचनादात्रियों ने राष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व से इन्कार किया है। इस तालिका के आँकड़ों से इस बात की भी पुष्टि हो जाती है कि वास्तव में महिलायें, संसद एवं राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण के प्रबल पक्षधर हैं। हमने स्थानीय महिला प्रतिनिधियों से संसद एवं राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण विधेयक के सम्बन्ध में उनके दृष्टिकोण की जानकारी भी ली।

तालिका संख्या : 06 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में से लगभग आधे से अधिक (55 प्रति"त) प्रतिनिधियों का मानना है कि संसद एवं राज्य विधानसभाओं में यदि महिला आरक्षण दिया जाता है तो इससे महिला विकास एवं स"ावित्करण में वृद्धि होगी। तालिकानुसार 33 फीसदी उत्तरदाताओं का मानना है कि महिला आरक्षण 50 प्रति"त होना चाहिए। लगभग 11 प्रति"त सूचनादात्रियों ने इस प्र"न का उत्तर देने में अपनी असमर्थता जताई है। 0.5 प्रति"त प्रतिनिधि ऐसी भी हैं जिनका मानना है कि महिलाओं को इससे कोई लाभ नहीं होगा।

तालिका संख्या –06

संसद एवं राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण के सम्बन्ध में आप क्या मानती हैं?

क्रम सं०	उत्तर	विकासखण्ड						योग
		नौगांव	पुरोला	मोरी	चि० सौड	डुण्डा	भटवाड़ी	
1.	महिला विकास एवं स"ावित्करण में वृद्धि होगी।	28 (80)	26 (74)	23 (77)	10 (29)	02	20 (67)	109 (54.5)
2.	महिलाओं को इससे कोई लाभ नहीं होगा।	—	—	—	01 (3)	—	—	01 (0.50)
3.	राष्ट्रीय राजनीति में आरक्षण नहीं होना चाहिए।	—	01 (3)	—	02 (6)	01 (3)	—	04 (2)
4.	महिला आरक्षण 50 प्रति"त होना चाहिए।	02 (6)	03 (9)	03 (10)	16 (46)	31 (89)	10 (33)	65 (32.5)
5.	कुछ कह नहीं सकते	05 (14)	05 (14)	04 (13)	06 (17)	01 (3)	—	21 (10.5)
	कुल योग	35 (100)	35 (100)	30 (100)	35 (100)	35 (100)	30 (100)	200 (100)

राष्ट्र के विकास में न केवल पुरुषों का योगदान है बल्कि महिलायें भी आज देश का गौरव ऊँचा करने में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। अपने पंचायती महिला प्रतिनिधियों से हमने राष्ट्र विकास की भागेदारी पर विचार जानना चाहा।

तालिका संख्या –07

क्या आप समझते हैं कि यदि महिलाओं को अच्छे अवसर दिये जाये तो महिलायें राष्ट्र के विकास में पुरुषों के समकक्ष भागीदारी कर सकती हैं?

क्रम सं०	उत्तर	विकासखण्ड						योग
		नौगांव	पुरोला	मोरी	चि० सौड	डुण्डा	भटवाड़ी	
1.	हाँ	34 (97)	31 (89)	29 (97)	27 (77)	22 (63)	27 (90)	170 (85)
2.	नहीं	01 (3)	04 (11)	01 (3)	08 (23)	13 (37)	03 (10)	30 (15)
	कुल योग	35 (100)	35 (100)	30 (100)	35 (100)	35 (100)	30 (100)	200 (100)

तालिका संख्या : 07 को देखने से स्पष्ट है कि 85 प्रतिशत सूचनादात्रियों ने माना कि यदि महिलाओं को अच्छे अवसर दिये जाएं तो महिलायें राष्ट्र के विकास में पुरुषों के समकक्ष भागीदारी कर सकती हैं। केवल 15 फीसदी उत्तरदाताओं ने इस प्रकार की महिला-पुरुष भागीदारी से इन्कार किया है। वे मानती हैं कि आरक्षण के बाद भी महिलायें पुरुषों के बराबर योगदान नहीं दे सकती हैं।

प्रशिक्षण किसी भी कठिन कार्य को आसान बना देता है। यह न केवल शारीरिक एवं मानसिक रूप से मानव को सुदृढ़ बनाता है बल्कि शैक्षिक प्रशिक्षण भी मानव जीवन के विकास के लिए अनिवार्य है। राजनीति में भी राष्ट्र एवं राज्य स्तर की राजनीति के लिए स्थानीय राजनीति को हम एक प्रशिक्षण स्थल के रूप में देख सकते हैं। पंचायती महिला प्रतिनिधियों से इसकी महत्ता को देखते हुए हमने उनसे प्रश्न किया।

तालिका संख्या –08

क्या आप इस बात से सहमत हैं कि स्थानीय स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व राज्य स्तर और राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक प्रशिक्षण स्थल है?

क्रम सं०	उत्तर	विकासखण्ड						योग
		नौगांव	पुरोला	मोरी	चि० सौड	डुण्डा	भटवाड़ी	
1.	हाँ	34 (97)	29 (83)	28 (93)	33 (94)	34 (97)	30 (100)	188 (94)
2.	नहीं	01 (3)	06 (17)	02 (7)	02 (6)	01 (3)	—	12 (6)
	कुल योग	35 (100)	35 (100)	30 (100)	35 (100)	35 (100)	30 (100)	200 (100)

तालिका संख्या : 08 पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में से अधिकतर (94 प्रतिशत) ने माना कि यह पंचायती कार्य उनके लिए राज्य एवं राष्ट्र की राजनीति के लिए एक प्रशिक्षण स्थल के रूप में है।

तालिकानुसार केवल 6 प्रतिशत सूचनादात्रियां इस निर्वाचन को प्रशिक्षण स्थल के रूप में नहीं देखती हैं।

पंचायती राज सस्थाओं में महिलाओं हेतु एक-तिहाई (33 प्रतिशत) स्थान आरक्षित किये गये हैं। इसी आरक्षण के फलस्वरूप स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर महिलायें निर्वाचित हुई हैं। लेकिन क्या ये महिलायें राज्य एवं राष्ट्र की राजनीति में भी प्रतिभाग की इच्छुक हैं।

तालिका संख्या – 09

महिला प्रतिनिधियों की राज्य या केन्द्र की राजनीति में भागीदारी

क्रम सं०	उत्तर	विकासखण्ड						योग
		नौगांव	पुरोला	मोरी	चि० सौड	डुण्डा	भटवाड़ी	
1.	हाँ	21 (60)	31 (89)	15 (50)	27 (77)	20 (57)	20 (67)	134 (67)
2.	नहीं	14 (40)	4 (11)	15 (50)	08 (23)	15 (43)	10 (33)	66 (33)
	कुल योग	35 (100)	35 (100)	30 (100)	35 (100)	35 (100)	30 (100)	200 (100)

तालिका संख्या – 09 को देखने से स्पष्ट होता है कि पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित 67 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि मानती हैं कि यदि उन्हें अवसर मिले तो वह राज्य या केन्द्र की राजनीति में भागीदारी की इच्छुक हैं। महिला विकास एवं सशक्तिकरण की दिशा में यह जागरूकता एक बड़ा प्रयास है। वास्तव में यदि महिलायें राष्ट्रीय राजनीति में संसद में होगी तो निश्चित रूप से यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम होगा। तालिकानुसार केवल 33 प्रतिशत प्रतिनिधियों ने राज्य या राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश से इन्कार किया है। महिलाओं में संवेदनाएं अधिक होती हैं। इसी संवेदनशीलता के कारण अनेक महिलायें खुलकर के स्वतन्त्र रूप से जनहित के कार्यों में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग नहीं कर पाती हैं। इन समस्याओं की जानकारी या निवारण विषयक महिला प्रतिनिधियों से जानकारी ली गई।

तालिका संख्या : 10 को अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि 94 प्रतिशत सूचनादात्रियों ने यह स्वीकार किया है कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का एक स्वतन्त्र संगठन होना चाहिए। जहां निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अपनी समस्याओं को रख सकें तथा उनका निवारण करवा सकें। तालिकानुसार मात्र 6 प्रतिशत सूचनादात्रियों ने ऐसे किसी संगठन की आवश्यकता से इन्कार किया है।

तालिका संख्या – 10

क्या निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का एक स्वतन्त्र संगठन हो?

क्रम सं०	स्वतंत्र संगठन	विकासखण्ड						योग
		नौगांव	पुरोला	मोरी	चि० सौड	डुण्डा	भटवाड़ी	
1.	हाँ	31 (89)	33 (94)	29 (97)	33 (94)	34 (97)	28 (93)	188 (94)
2.	नहीं	04 (11)	02 (6)	01 (3)	02 (6)	01 (3)	02 (7)	12 (6)
	कुल योग	35 (100)	35 (100)	30 (100)	35 (100)	35 (100)	30 (100)	200 (100)



उपर्युक्त तालिकाओं का अध्ययन करने से यह ज्ञात हो जाता है कि एक पढ़ी-लिखी उच्च शिक्षित महिला अपने अधिकारों का स्वयं सदुपयोग भली-भाँति कर सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि निर्वाचित निरक्षर महिला प्रतिनिधियों के लिए विशेष उच्च शैक्षिक कार्यक्रम चलाकर उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए।

उत्तराखण्ड सरकार के द्वारा महिला आरक्षण को 50.00 प्रतिशत किया जाना महिला विकास एवं सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है। इसके अन्तर्गत एक महिला आरक्षित स्थान को दो पंचवर्षीय कार्यकाल तक आरक्षित किया जाना चाहिए। इससे उन महिला पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यक्षमताओं एवं मनोवृत्तियों को बढ़ावा मिलेगा जो एक कार्यकाल सम्पन्न हो जाने के बाद सक्रिय राजनीति से हटने के लिए दूर हो जाती हैं। महिला प्रतिनिधियों की इस मानसिकता को बदलने के प्रयास किए जाने चाहिए कि महिलायें न केवल महिला आरक्षित स्थानों पर चुनाव लड़ सकती हैं बल्कि भविष्य में सामान्य स्थान होने के बावजूद भी महिला एवं पुरुष दोनों ही सामान्य पंचायती पद के लिए उम्मीदवारी कर सकते हैं। क्योंकि अधिकतर मामलों में यह देखा गया है कि महिला पंचायत प्रतिनिधि कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद सामान्य पद पर चुनाव नहीं लड़ती हैं।

न केवल पंचायती राज संस्थाओं में बल्कि राज्य विधान सभाओं एवं संसद में भी महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थान आरक्षित किये जाने चाहिए। संसद एवं राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण, महिला विकास एवं सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रान्तिकारी पहल साबित होगा। अध्ययन से यह भी सिद्ध हो जाता है कि महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के स्वतन्त्र संगठनों का निर्माण होना चाहिए इस प्रकार के संगठनों में महिला प्रतिनिधि अपनी समस्याओं को रखकर संगठन के माध्यम से उनका निदान करवा सकेंगी। प्साथ ही ऐसे संगठनों को एक दबाव समूह के रूप में भी प्रयोग किया जा सकेगा।

संदर्भ सूची

1. रॉय, प्रो.बीना (प्राचार्य) “भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण” AIOCHANA JOURNAL Vol. N. 04 फरवरी 2025।
2. मिश्रा डॉ. शिरोमणि, “महिला सशक्तिकरणरु मुद्दे , चुनौतियां एवं समाधान” शोध पत्र, Research Journal -TIJER, May2023, Vol 10. Issue 05
- 3- त्रिपाठी, सुश्री सविता, “महिला सशक्तिकरण” शोध पत्र, International journal of Research and Anaitycal Review (IJRAR) March 2019, Vol-6, Issue-1
- 4- डी0 डी0 बसु, भारत का संविधान, नई दिल्लीरु प्रेंटिस हॉल ऑफ इण्डिया, 1993
5. मेहरा, सुरेन्द्र सिंह, ‘उत्तरकाशी के धार्मिक एवं पर्यटन स्थल’, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली, 1998 पृ0 – 27
- 6- सिसौदिया, विजय कुमार एवं सिसौदिया, आशा ‘राजनीति सहभागिता एवं महिला सशक्तिकरण’ लेख 2003,
- 7- जनगणना 2001
- 8- गुप्ता, कमलेशा कुमार, ‘महिला सशक्तिकरण’, बुक एनक्लेव, जयपुर (राजस्थान), 2005,